महाकाल से ओंकारेश्वर की दूरी, 40 मिनट में होगी पूरी

- सप्ताह में 5 दिन तक हेली सेवाओं का मिलेगा लाभ
- मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की साइट से होगी ऑनलाइन बुकिंग
- पीएम श्री पर्यटन हेलीसेवा का आगाज़, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दी सौगात

सिंहस्थ और पर्यटन को मिलेगा बड़ा लाभ

नवभारत से चर्चा में उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने इस सेवा के लाभों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह हेलीकॉप्टर सेवा श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अभूतपूर्व सुविधा प्रदान करेगी. हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं को और पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी. इससे लोग कम समय में उज्जैन के महाकाल दर्शन के साथ ही अन्य धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंच सकेंगे.

नवभारत न्यूज

उज्जैन. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा शुरू की गई पीएम श्री पर्यटन हेलीसेवा का नियमित संचालन गुरुवार को शुरू हो गया. पहले ही दिन इस सेवा ने इंदौर से उज्जैन की दूरी मात्र 18 मिनट में तय कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया.

यह सेवा विशेष रूप से आगामी सिंहस्थ कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी, जिससे वे कम समय में दो ज्योतिर्लिंगों (ओंकारेश्वर/ इंदौर के निकट और महाकाल/ उज्जैन) के दर्शन कर सकेंगे. मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की साइट पर ऑनलाइन बुकिंग यात्री कर सकेंगे. ऑफलाइन बुकिंग प्रस्तावित है यह सुविधा अभी चालू नहीं की गई है.

18 मिनट में इंदौर से उज्जैन- पीएम श्री पर्यटन हेलीसेवा के उद्घाटन के पहले दिन, हेलीकॉप्टर इंदौर से उड़ान भरकर निर्धारित समय से काफी पहले उज्जैन के डीआरपी लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचा. इंदौर से उज्जैन पहुंचने वालों में विधायक महेंद्र हडिया, नगर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा, रमेश मेंदोला, और अन्य कई भाजपा नेतागण शामिल थे.

उज्जैन में भव्य स्वागत- उज्जैन हेलीपैड पर स्थानीय नेताओं, उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने अथितिगणो का स्वागत किया. पुष्प वर्षा और ढोल बजाकर खुशियां मनाई गई.

दो ज्योतिर्लिंगों का लाभ- इस सेवा का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि पर्यटक और श्रद्धालु कम समय में मध्य प्रदेश के दो महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों- महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के दर्शन कर पाएंगे. सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजनों में, जहां सड़क मार्ग पर भीड़ अधिक होती है, यह सेवा त्वरित और आरामदायक यात्रा का विकल्प देगी.

धार्मिक और राजनीतिक हस्तियों ने भी की यात्रा- सेवा के शुभारंभ के अवसर पर इंदौर ग्रामीण अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा भी हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचे. उज्जैन में, नगर भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल, विधायक अनिल जैन कालुहेड़ा के साथ-साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रामेश्वर दास, संत आनंद दास, और महंत रामचंद्र दास को भी हेलीकॉप्टर से यात्रा कराई गई.

साप्ताहिक शेड्यूल व किराया

इंदौर से उज्जैन तक जो उड़ान होगी वो सुबह 8.00 बजे टेकऑफ़ करेगी व 8.20 लैंडिंग होगी, जिसका किराया 5000 रहेगा. इसी तरह उज्जैन से ओंकारेश्वर सुबह 8.25 से 9.05 उड़ान का किराया 6500 रहेगा. ओंकारेश्वर से इंदौर सुबह 11.30 से 11.55 तक जो उड़ान होगी, उसका किराया 5500 होगा. कुल मिलाकर सप्ताह में 5 दिन तक उड़ान होगी जैसी बुकिंग आएगी वैसे निर्धारित किराया चुका कर यात्री सेवा का लाभ ले सकेंगे. प्रदेश के 6 स्थानों पर यात्री और पर्यटक आवाजाही कर सकेंगे.

एसआईआर अनियमितता को रोकने का शक्तिशाली माध्यम

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 20 नवंबर. भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने गुरुवार को एसआईआर के संबंध में भोपाल ग्रामीण के जिला पदाधिकारियों तथा मंडल अध्यक्षों की बैठक को संबोधित किया.

उन्होंने कहा कि एसआईआर के बारे में किसी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, यह निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने का शक्तिशाली माध्यम है. एसआईआर प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की विस्तृत जानकारी भी दी. अजय जामवाल ने कहा कि एसआईआर के काम के लिए पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रतिदिन दो घंटे का समय नियमित रूप से निकालकर अपने वार्ड के प्रत्येक बूथ पर जाना चाहिए.

भारतीय खाद्य निगम

क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
दूरभाष: 0755-2573444, फैक्स : 0755-2573418, ईमेल: srmmp.fci@nic.in

क्र. एसएंडसी/15/आरटीसी/आरएण्डसी एनआईटी/2025/32 दिनांक: 21.11.2025

निविदा आमंत्रण सूचना

जोखिम एवं खर्च पर ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए Government E Marketing Portal (URL:https://gem.gov.in) पर online प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। कार्य की जानकारी, महत्वपूर्ण तिथियों, ईएमडी एसडी एवं निविदा के बारे में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.fci.gov.in & www.gem.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत एनआईटी एवं एमटीएफ में देखा जा सकता है। किसी विवाद की स्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य/वैध होगा।

महाप्रबंधक (क्षेत्र)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Govt. of India
Khadi India

खादी और ग्रामोद्योग आयोग
KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION
राज्य कार्यालय, भोपाल
STATE OFFICE, BHOPAL
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Govt. of India)

रोजगार की नई पहल स्वरोजगार हेतु जागरुकता शिविर
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम "PMEGP"

नये उद्योग स्थापित करने हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित "PMEGP" योजना के दिशा निर्देशानुसार बैंको के माध्यम से विनिर्माण इकाई हेतु राशि रूपये 50.00 लाख एवं सेवा इकाई हेतु 20.00 लाख तक के ऋण पर भारत सरकार द्वारा 15% से 35% की दर से अनुदान राशि शहरी एवं ग्रामीण पात्रता के अनुसार एवं द्वितीय ऋण में विनिर्माण इकाई हेतु राशि रूपये 1.00 करोड़ तक के ऋण तथा सेवा इकाई हेतु 25.00 लाख तक ऋण पर अनुदान राशि पर 15% की दर से प्रदाय की जाती है।

यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB), एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (DTIC) द्वारा बैंको के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। योजना के बारे में जन-जन को जानकारी हो सके, इस आशय से एक दिवसीय जागरुकता शिविर का निम्नानुसार आयोजन किया जा रहा है:-

दिनांक : 22 नवम्बर 2025 (शनिवार),
समय : दोपहर 2.30 बजे से
स्थान : शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, जिला-झाबुआ (म.प्र.)

इस योजना में नये उद्योग स्थापित करने के इच्छुक व्यक्ति शिविर में सम्मिलित होकर योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है।

राज्य निदेशक

बी-3/4, कार्यालय परिसर, गौतम नगर, भोपाल
B3, B4, Office Complex, Gautam Nagar, Bhopal (M.P.),
Ph.: 0755-2583667- 68
E-mail : kvicbhopal@gmail.com / sobhopal.kvic@gov.in

जवाद अहमद का मकान तोड़ने की पूरी हुई तैयारी

तीन दिनों के भीतर मकान को हटाने का नोटिस जारी

महू, 20 नवंबर. दिल्ली ब्लास्ट के बाद पकड़े गए आरोपी अलफलाह यूनिवर्सिटी के संचालक जवाद अहमद सिद्दीकी के महू स्थित मकान पर अब छावनी परिषद बुलडोजर कार्रवाई करेगा. इस संबंध में छावनी परिषद द्वारा तीन दिनों के भीतर मकान को हटाने का नोटिस भी जारी किया है.

यह मकान करीब 25 साल से खाली पड़ा है. चार मंजिला इस मकान में 25 से अधिक खिड़कियां और 5 दुकानें है. दिल्ली ब्लास्ट के मामले में पकड़े गए अलफलाह यूनिवर्सिटी के संचालक जावद अहमद पर अब महू छावनी परिषद भी कार्रवाई करने की पूर्ण तैयारी कर चुका है, जिसको लेकर कायस्थ मोहल्ला मुकरी मोहल्ला मार्ग पर स्थित जावद अहमद सिद्दीकी की अवैध बिल्डिंग को लेकर नोटिस जारी किया है. बुधवार को जारी नोटिस में तीन दिवस के अंदर अवैध बिल्डिंग को स्वयं तोड़ने को कहा गया है. अन्यथा तीन दिन बाद छावनी परिषद उसे तोड़ने की कार्रवाई करेगा. इस संबंध में छावनी परिषद के सीईओ विकास कुमार ने बताया कि पूर्व में भी इस बिल्डिंग को लेकर नोटिस जारी किए जा चुके हैं. अब अंतिम कोतवाली और सेना पुलिस रहेगी तैनात कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित नहीं हो सके, इसलिए महू कोतवाली थाने की पुलिस और सेना के जवान तैनात रहेंगे.

जानकारी की मुताबिक बता दे कि नोटिस जारी किया गया है, जिसमें अवैध मकान को 3 दिन के अंदर स्वयं तोड़ने को कहा गया है. अन्यथा तीन दिवस बाद छावनी परिषद मकान तोड़ने की कार्रवाई करेगा. बता दें कि अलफलाह यूनिवर्सिटी के संचालक जावेद अहमद सिद्दीकी महू का रहने वाला था और उसने 25 साल पहले महू में निवेश कंपनी भी खोली थी और कई लोगों का लाखों रुपया लेकर भाग गया था, जिसके बाद वह मह में नहीं दिखा और बताया जा रहा है कि इसके पिता शहरकाजी भी रह चुके हैं.

200 करोड़ के घोटाले में जांच तेज

एलएनसीटी प्रबंधन पर दर्ज केस की दिशा बदलेगी

नवभारत न्यूज़

इंदौर. कथित 200 करोड़ रुपए के वित्तीय घोटाले की जांच में ईओडब्ल्यू ने आस्था फाउंडेशन के दफ्तर से बरामद डिजिटल सामग्री की गहन स्कैनिंग शुरू कर दी है.

शुरुआती पड़ताल में कई संदिग्ध ट्रांजेक्शन सामने आए हैं, जबकि इसी मामले में एलएनसीटी समूह के शीर्ष पदाधिकारियों पर पहले ही गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है. कनाड़िया रोड स्थित सेवाकुंज अस्पताल परिसर में संचालित आस्था फाउंडेशन फॉर एजुकेशन सोसायटी पर हुई तलाशी कार्रवाई के बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ अब जब्त रिकॉर्ड का विस्तृत विश्लेषण कर रहा है.

टीम ने दफ्तर से हार्ड डिस्क, पेनड्राइव, बैलेंस शीट, बैंक स्टेटमेंट और लोन से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए थे. अब इन सभी की डिजिटल फोरेंसिक और वित्तीय जांच शुरू हो चुकी है.

सूत्रों के अनुसार शुरुआती स्कैन में ऐसे कई लेन-देन मिले हैं जिनमें संस्था के नाम पर लिए गए बड़े लोन की राशि आगे निजी संस्थाओं, संबंधित ट्रस्टों और थर्ड-पार्टी खातों में स्थानांतरित होने के संकेत हैं. जांच अधिकारी इसे पूरे कथित घोटाले की वित्तीय संरचना समझने के लिए 'सबसे अहम लिंक' मान रहे हैं. तकनीकी टीम डिलीट किए गए डेटा की रिकवरी भी कर रही है, ताकि किसी भी संभावित मिटाई गई फाइल का विश्लेषण किया जा सके.

यह पूरा मामला संस्था के पूर्व अध्यक्ष अनिल संघवी की शिकायत से शुरू हुआ था. उनकी शिकायत पर भोपाल ईओडब्ल्यू ने एलएनसीटी समूह से जुड़े जय नारायण चौकसे, अनुपम चौकसे, धर्मेंद्र गुप्ता, श्वेता चौकसे, पूनम चौकसे, पूजा चौकसे और आशीष जायसवाल सहित अन्य के खिलाफ आर्थिक अपराध की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है.

आरोप है कि सोसायटी के नाम पर लिए गए करोड़ों रुपए के लोन का उपयोग निर्धारित शैक्षणिक उद्देश्यों के बजाय निजी लाभ और अन्य संस्थाओं के देनदारियों के भुगतान में किया. तलाशी कार्रवाई के दौरान पत्रकारों और मीडिया टीमों को परिसर में प्रवेश न मिलने के कारण विवाद की स्थिति भी बनी रही. सुरक्षा कर्मियों और तैनात बाउंसर्स ने मीडिया को दफ्तर के बाहर ही रोक दिया था. अधिकारियों का कहना है कि तलाशी के दौरान संवेदनशील दस्तावेजों की सुरक्षा और गोपनीयता को देखते हुए यह कदम उठाया. जांच टीम अब संदिग्ध ट्रांजेक्शन की टाइमलाइन तैयार कर रही है.

शराब दुकानों पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

नेशनल- स्टेट हाइव पर धड़ल्ले से संचालित हो रही शराब की दुकानें

जबलपुर, 20 नवंबर. राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में धड़ल्ले से शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है।

कोर्ट ने इस संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सहित मध्यप्रदेश के आबकारी आयुक्त व आबकारी सचिव को नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। यह जनहित याचिका भोपाल निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राशिद नूर खान की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने बताया

कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानें खुलेआम चल रही हैं। इतना ही नहीं दुकानों के बाहर खड़े होकर शराब पीने की भी जानकारी मिली है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष तस्वीरें और दस्तावेज पेश किए हैं, जो शराब दुकानों के राजमार्ग से सटे होने का सबूत हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आर्यन उरमलिया ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई शराब दुकान नहीं चल सकती न ही वह राजमार्ग से दिखनी चाहिए और न ही उसकी सीधी पहुंच होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने भी 1 जून 2017 को इसी आशय का सर्कुलर जारी किया था। इसके बाद भी मध्यप्रदेश में 2025-26 की नई आबकारी नीति में कई दुकानों का नवीनीकरण और नई दुकानें राजमार्गों के पास ही आवंटित की गई हैं।

सीएम सहित 5 हजार लोगों ने दी शहीद आशीष को श्रद्धांजलि

बीजेपी-कांग्रेस के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

शहीद के छोटे भाई को मिलेगी सरकारी नौकरी

नरसिंहपुर, 20 नवंबर. नक्सली मुठभेड़ में शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा का गुरुवार को राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने उनकी पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। सीएम डॉ. मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने उन्हें कंधा दिया।

मुख्यमंत्री ने शहीद इंस्पेक्टर के छोटे भाई को सब इंस्पेक्टर बनने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा- सारे नियमों को शिथिल करते हुए एसआई बनाया जाएगा। एक करोड़ की सम्मान निधि दी जाएगी। आशीष शर्मा के नाम पर गांव में एक पार्क और स्टेडियम बनाया जाएगा। गुरुवार दोपहर को शहीद का पार्थिव शरीर नरसिंहपुर में उनके गृहग्राम बोहानी लाया गया। घर में उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा मुक्तिधाम के लिए निकाली गई। लोगों ने घरों की छतों पर खड़े होकर शहीद पर फूल बरसाए। शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल होने कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और उदय प्रताप सिंह पहुंचे।

मराल ओवरसीज़ लिमिटेड

PROUD TO BE INDIAN
PRIVILEGED TO BE GLOBAL

सीआईएन: L17124MP1989PLC008255
पंजीकृत कार्यालय: मराल सरोवर, ग्राम एवं पोस्ट खलबुर्जुग, तहसील कसरावाद, जिला खरगोन – 451 660, (मध्य प्रदेश)
फोन: +91–7285–265401, 265404, 265417
कॉर्पोरेट कार्यालय: भीलवाड़ा टॉवर्स, ए–12 सेक्टर–1, नोएडा – 201 301, उत्तर (प्रदेश)
फोन: +91–120–4390300, 4390000 (EPABX)
ईमेल: maral.investor@lnjbhilwara.com; **वेबसाइट:** www.maraloverseas.com

डाक मतपत्र/ई–वोटिंग की सूचना

कम्पनी के सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (**"अधिनियम"**) की धारा 108, 110 एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (**"नियम"**) के नियम 20 एवं 22, के साथ पठित कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (**"एमसीए"**) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांकित 22 सितम्बर, 2025, के साथ इस सम्बन्ध में एमसीए द्वारा जारी पिछले परिपत्रों (**"एमसीए परिपत्र"**) के साथ पठित, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (**"सूचीबद्धता विनियम"**) के लागू प्रावधानों, के अनुसार कम्पनी ने बृहस्पतिवार, 20 नवम्बर, 2025 को सभी सदस्यों को स्पष्टीकरणात्मक विवरण सहित डाक मतपत्र सूचना दिनांकित 4 नवम्बर, 2025 (**"डाक मतपत्र सूचना"**), ईमेल द्वारा प्रेषित की है जिसमें रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित प्रस्तावों पर उनकी स्वीकृति मांगी गई है:

1. श्री सुमन ज्योति खेतान (डीआईएनः 00023370) को कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु अनुमोदन (**विशेष प्रस्ताव**)

एमसीए परिपत्रों के अनुसार, डाक मतपत्र सूचना मात्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को प्रेषित किया गया है, जिन्होंने **शुक्रवार, 14 नवम्बर, 2025 ("कट–ऑफ तिथि")** तक कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात् मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत है। कृपया ध्यान दें कि इस डाक मतपत्र हेतु सूचना, डाक मतपत्र फॉर्म एवं प्री–पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे की भौतिक प्रति सदस्यों को नहीं भेजी गई है। जो व्यक्ति कट–ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे यह सूचना मात्र जानकारी के उद्देश्य से ही व्यवहृत करना चाहिए। कम्पनी ने पात्र सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (**"एनएसडीएल"**) की सेवाएँ ली हैं, ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम हों।

ई–वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 21 नवम्बर, 2025 (प्रातः 9:00 बजे भारतीय मानक समय) से आरम्भ होगी तथा शनिवार, 20 दिसम्बर, 2025 (सायं 5:00 बजे भारतीय मानक समय) (दोनों दिन सम्मिलित) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कम्पनी के सदस्य, जो कट–ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 14 नवम्बर, 2025 को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर प्रतिरक्षित करते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके पश्चात् एनएसडीएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल को वोटिंग हेतु अक्षम कर दिया जाएगा एवं उक्त तिथि और समय उपरान्त वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के पश्चात् सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जो सदस्य कट–ऑफ तिथि तक शेयर प्रतिरक्षित करते हैं और जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे डाक मतपत्र सूचना प्राप्त करने हेतु **maral.investor@lnjbhilwara.com**; **helpdeskdelhi@mcsregistrars.com** पर ई–मेल भेज सकते हैं या कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् **maral.investor@lnjbhilwara.com** से डाउनलोड कर सकते हैं तथा डाक मतपत्र सूचना में दिए गए रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया एवं निर्देशों का पालन करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट कर सकते हैं।

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन (FAQs) एवं शेयरधारकों हेतु ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका संदर्भित सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 1022–4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेज सकते हैं। किसी भी अन्य प्रश्न या शिकायत के मामले में, कम्पनी सचिव से निम्नलिखित संपर्क विवरणों पर संपर्क किया जा सकता हैः श्री संदीप सिंह, कम्पनी सचिव, मराल ओवरसीज लिमिटेड, भीलवाड़ा टावर्स, ए–12, सेक्टर–1, नोएडा–201301 (उ.प्र.), टेलीफोनः (0120) 4390300, ईमेलः **maral.investor@lnjbhilwara.com**.

कम्पनी ने मेसर्स मनीषा गुप्ता एंड एसोसिएट्स, संव्यावसायिक कम्पनी सचिव के श्री मनीषा गुप्ता (सीओपी नंबर 6808) को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र प्रक्रिया के संचालन हेतु संवीक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। डाक मतपत्र के परिणाम मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2025 को या उससे पूर्व घोषित किए जाएँगे एवं कम्पनी की वेबसाइट (**www.maraloverseas.com**), एनएसडीएल की वेबसाइट (**www.evoting.nsdl.com**) पर अपलोड किए जाएँगे। परिणामों की सूचना बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी दी जाएगी, जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

पैन, केवाईसी एवं बैंक विवरण, नामांकन का विकल्प, ईमेल पता इत्यादि अद्यतन करने हेतु अनुस्मारकः

यदि आपने अभी तक अपना पैन, केवाईसी विवरण, बैंक खाता की जानकारी, नामांकन, ईमेल पता इत्यादि अपडेट नहीं किया है, या अगर आप ऊपर बताए गए किसी भी विवरण में सुधार या उसमें बदलाव करना चाहते हैं, तो कृपया अपनी शेयरधारिता के प्रकार के आधार पर निम्नलिखित कार्रवाई करें:

1. **डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर प्रतिरक्षित शेयरों हेतुः** कृपया अपना विवरण अद्यतन करने या बदलने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें।
2. **भौतिक तौर पर प्रतिरक्षित शेयरों हेतुः** कृपया कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को नीचे दिए गए पते पर लिखें:
   एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड,
   यूनिटः **मराल ओवरसीज लिमिटेड**
   179–180, डीएसआईडीसी शेड, तृतीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज–1, नई दिल्ली – 110020
   फोन नंबरः 011–41406149–50, फैक्स नंबरः 011–41406148
   ई–मेलः **helpdeskdelhi@mcsregistrars.com**

ऊपर बताई गई जानकारी को अद्यतनित करने हेतु प्रारूप कम्पनी की वेबसाइट **www.maraloverseas.com** पर इन्वेस्टर रिलेशन्स > सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियमन 46 के अंतर्गत प्रकटीकरण > सूचीबद्धता विनियम के विनियम 30 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी > भौतिक शेयरधारकों द्वारा पैन/केवाईसी/नामांकन का अद्यतन तथा रजिस्ट्रार की वेबसाइट **www.mcsregistrars.com** पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते मराल ओवरसीज़ लिमिटेड
हस्ता/–
संदीप सिंह
कम्पनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्या एफसीएस – 9877

स्थान : नोएडा (उ.प्र.)
दिनांक : 20 नवम्बर, 2025

समारोह समापन | **अभा सहकारी सप्ताह का समापन**

व्यापार सृजित करने वाले पैक्स कर्मचारियों को मिलेगा इंसेंटिव

भोपाल, 20 नवम्बर. सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि पैक्स में नया व्यापार सृजित करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष इंसेंटिव योजना तैयार की जा रही है.

साथ ही, डिफॉल्टर किसानों के लिए भी ऐसी योजना लाई जा रही है, जिससे सोसायटियों में किसी त्रुटि या गड़बड़ी का प्रतिकूल प्रभाव किसानों पर न पड़े. वे अपेक्स बैंक के समन्वय भवन में आयोजित 72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे. कार्यक्रम का विषय परिचालन दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता के लिये डिजिटलीकरण को बढ़ावा रखा गया था. मंत्री सारंग ने इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सहकारी बैंकों और पैक्स का सम्मान किया तथा अपेक्स बैंक में ई-ऑफिस और सहकार-सेतु पोर्टल का लोकार्पण किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सहकारी आंदोलन को तकनीक की मदद से अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बना रही है. ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था के विकास में सहकारिता की भूमिका बढ़ रही है और इससे रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे. उन्होंने बताया कि सीपीपीपी मॉडल के माध्यम से हर पैक्स को कॉरपोरेट सेक्टर से जोड़ा जा रहा है,

पेज एक का शेष

नीतीश के अनुभवी...

नीतीश कैबिनेट में शामिल 26 मंत्रियों में लगभग डेढ़ दर्जन पूर्व मंत्रियों को ही स्थान दिया गया है. नवगठित मंत्रीमंडल में कुल मंत्रियों में से तीन महिला और 15 अपेक्षाकृत युवा नेताओं को शामिल कर बिहार के विकास को सभी वर्गों तक तेज गति से पहुंचाने की योजना बनाई गई है.

नेता पुत्रों को भी तवज्जो दिया गया है. मंत्रीमंडल में केन्द्रीय मंत्री व हम नेता जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन, उपेन्द्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश को शामिल किया गया है. हालांकि दीपक अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं लेकिन गठबंधन के दौरान किए गए वादे के मुताबिक उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी को एक एमएलसी सीट देनी है उसके आधार पर ही इन्हें मौका मिला है.

जहां एक तरफ जदयू कोटे से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह को मंत्री तो भाजपा कोटे से पहली बार चुनाव जीत कर आई पूर्व सांसद की पत्नी रमा निषाद को मंत्री बनाया गया है.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60